

प्रेषक,

मान वर्धन,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-३, गाजियाबाद।

सेवा में,

श्रीमान उप निबंधक (एम.),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।


विषय- माननीय न्यायालय के प्रपत्र सं०-9281/IV-3561/Admin-A-IV दि० 17.07.19 व प्रपत्र सं०-15022/IV-3561/Admin (A) दि० 04.11.2015 के सम्बन्ध में आफ लाईन मोड (Off line Mode)में मांगी गई जानकारी।

महोदय,

मेरे द्वारा वर्ष-2017-18 व वर्ष 2018-19 का सम्पत्ति विवरण (प्रोपर्टी स्टेटमेंट)ई सर्विसेज पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिस पर कुछ आपत्तियों लगाई गई थी जिन्हें दुरुस्त कर वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 का सम्पत्ति विवरण पुनः अपलोड कर दिया गया है। महोदय, ई सर्विसेज पोर्टल पर आपत्तियों में यह भी अंकित था कि माननीय न्यायालय के प्रपत्र सं०-9281/IV-3561/Admin-A-IV दिनांकित 17.07.2019 व प्रपत्र सं०-15022-IV-3561/Admin(A) दिनांकित 04.11.2015 का जबाव नहीं दिया गया है तथा उक्त विवरण आफ लाईन मोड में प्रेषित कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में महोदय को सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित प्रपत्रों का विवरण मेरे द्वारा दि० 17.08.2019 को पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त पत्र की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आख्या आवश्यक निर्देश हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,


(मान वर्धन) 20/02/21

(UP-1544)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं०-३, गाजियाबाद।

दिनांक: 20.02.2021

पृष्ठांकन सं०.....दिनांकित.....

अग्रसारित,

श्रीमान उप निबंधक (एम.)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(जनपद न्यायाधीश),

गाजियाबाद।

प्रेषक,

मान वर्धन,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

संबंध में,

श्रीमान उपनिबन्धक (एम),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: पत्र संख्या 15022/iv-3561/Admin.(A) दिनांकित 04-11-15 में मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में महोदय।

विनम्र निवेदन है कि माननीय न्यायालय के उपरोक्त वर्णित पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा दाखिल सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2012-2013 व वित्तीय वर्ष 2013-2014 के सम्बन्ध में सूचनाएं मांगी गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2012-2013 की कुल कटौती इस प्रकार है:


A. जी.आई.एस-	4,500/-रुपये
सी.पी.एफ-	5,151/-रुपये
आयकर	18,000/-रुपये
कुल कटौती	27,651/- रुपये

2. वित्तीय वर्ष 2013-2014 के विवरण में जी पी एफ के समक्ष कटौती के रूप में अंकित 1,08,004/- रुपय के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी ने वर्ष 2009 में सेवा प्रारम्भ की थी तथा प्रार्थी का जी पी एफ नहीं कटता है तथा वित्तीय वर्ष 2013-2014 के साथ संलग्न फार्म में रुपये 1,08,004/- की बचत मुझसे निम्न प्रकार है:


A. अंशदायी पेंशन फण्ड (सी.पी.एफ)	52,490/- रुपये
B. अंशदायी पेंशन फण्ड सी पी एफ आर (विगत वर्षों में जो सी पी एफ नहीं कटा था उसका एरियर कटौती)	45,514 रुपये
कुल कटौती	1,08,004/-रुपये

महोदय उपरोक्त वर्णित पत्र में मांगे गये स्पष्टीकरण को प्रार्थी इस पत्र के माध्यम से सादर प्रेषित कर रहा है; महोदय विवरण को प्राप्त करने में हुयी देरी के कारण स्पष्टीकरण समय से प्रेषित नहीं किया जा सका जिसके लिये प्रार्थी क्षमा की याचना करता है।

दिनांक: 17-08-2019

भवदीय,

(मान वर्धन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।
17/08/19

पत्रांक संख्या 4149/I दिनांक 17-08-2019


श्रीमान उपनिबन्धक (एम),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद,
17/08/19
District Judge
Ghaziabad

